निर्णय दिनांक 11.12.2019

संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि वादीगण की ओर वकालतन एक ग्राम सूरौठ तहसील हिण्डोन के खसरा नंबर 697,755,758,705,708,709,710 के मा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर ादीगण को जरिए नोटिस तलब किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान वकील प्रतिवादीगण जबाब दावा पेश करने हेतु कई अवसर दिऐ गये । पत्रावाली पत्रावली दिनांक 2.2019 को जबाब दावा व तलवी की स्टेज पर पेश हुई। बार–बार आवाज ाई गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित नहीं आए । जिससे जाहिर होता है कि पक्ष उक्त दावे में में कोई रूचि नहीं ले रहा है।

अतः वादीगण का वादपत्र मुकदमा नंबर 81/2014 प्रहलाद कुमार वगै. म हुकमचन्द वगैरह अदम पैरवी, अदम हाजिरी एवं अदम तकमील में खारिज ा जाता है। निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया कर लिखाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट
हिण्डौन
HINDAUN

11-12-19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन

मा नंबर दावा / 81 / 2014 तारीख रजु 11.07.2014

उनवान

प्रहलाद कुमार शर्मा पुत्र जौहरी लाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी कृष्णा कालोनी हिण्डौन सिटी जिला करौली

शकुन्तला देवी पुत्री जौहरी लाल शर्मा पत्नी भागचंद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी लवानिया मार्केट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर

फूलन देवी पुत्री जौहरी लाल शर्मा पत्नी सरवनलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी लवानिया मार्केट हलैना तहसील वैर जिला भरतपुर

————वादी

बनाम

हुकम चंद पुत्र जौहरीलाल शर्मा वगैरह. जाति ब्राह्मण निवासी सूरौठ हालवासी मकान न. 195 / 138, सेक्टर–19 प्रताप नगर सांगानेर जयपुर

———प्रतिवादी 14

परिस्थितिः–

वादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

प्रतिवादीगण की ओर से :– कोई उपस्थित नही।

SUB DIVISIONAL MAGISTRATE उपखण्ड मजिस्ट्रेट हिण्डौन HINDAUN

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी जिला करौली

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Yadav
Date: 2019.12.31 18:13:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: